वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

(आयकर)

का.आ. 3162(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90क के स्पष्टीकरण 2 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए क्रमशः ''विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र'' और ''विनिर्दिष्ट संगम'' के रूप में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(क) ताईपेई में वह राजक्षेत्र जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा शासित कराधान विधि लागू है।

(ख) ''ताईपेई में भारत ताईपेई संगम'' और ''नई दिल्ली में ताईपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र''।

[अधिसूचना सं. 93/2009 एफ.टी.डी.-II/
फा. सं. 500/2/2001-एफ.टी.डी.-II]

अनिता कपूर, संयुक्त सचिव